

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

का.आ.सं.-सम्पदा (ले.प.)-आवास-आवं /2025-26/ग- 109

दिनांक:- 03.07.2025

कार्यालय आदेश

* सरकारी आवास, जो प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में है, आवंटन नियमावली 2021 के अनुसार, ऑडिट कॉलोनी (महालेखाकार कार्यालय आवासीय परिसर) एवं आर० ब्लॉक आवासीय कॉलोनी स्थित निम्नलिखित सरकारी आवास को अगले आदेश तक आवंटित किया जाता है।

आर० ब्लॉक आवासीय कॉलोनी:-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम (श्रीमति/श्री)	कार्यालय का नाम	EmPLY.ID No.	आवंटित आवास सं.	आवास टाईप
1.	सुलेन्द्र कुमार, लेखाकार	लेखा एवं हक०	BHPTE2030599	02	II
2.	अमरनाथ मराडी, लिपिक	लेखा एवं हक०	BHPTE2030631	09	II

ऑडिट कॉलोनी (महालेखाकार कार्यालय आवासीय परिसर) :-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम (श्रीमति/श्री)	कार्यालय का नाम	EmPLY.ID No.	आवंटित आवास सं.	आवास टाईप
1.	चंदन कुमार चौधरी, स०ले०प०अ०	लेखापरीक्षा	BHPTA5012637	B-4/12	III
2.	प्रशांत प्रखर, स०ले०प०अ०	लेखापरीक्षा (पूर्व मध्य रेल)	BHHJR6130102	B-1/11	III
3.	मो० इकबाल अंसारी, एम०टी०एस०	लेखापरीक्षा (पूर्व मध्य रेल)	BHHJR6130113	A-1/16	II

उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निदेशित किया जाता है कि Allotment of Government Residences (IA&AD) Rules 2021 के नियम 7(3) के अनुसार इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 8 दिनों के अन्दर अपनी स्वीकृति अधोहस्ताक्षरी को दें। नियमावली प्रावधान 7(4) के अनुसार आवंटन स्वीकार की स्थिति में 5 कार्य दिवस के अन्दर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग महालेखाकार भवन, पटना से उस आवंटित आवास का अधिग्रहण करना होगा। आवंटी स्वयं सुनिश्चित कर लें कि आवंटित आवास में कोई मरम्मत कार्य की जरूरत नहीं है। मरम्मत कार्य होने की स्थिति में सी.पी.डब्लू.डी.से समन्यवय कर मरम्मती कार्य कराकर आवंटित आवास का अधिग्रहण करें। निर्धारित शुल्क की कटौती अधिग्रहण की तिथि से की जाएगी।

आवंटन अस्वीकार अथवा स्वीकृति पश्चात अधिग्रहण नहीं करने की स्थिति में आवासीय नियमावली प्रावधान 7(5)(i) के तहत अगले तीन महीने तक आवेदन करने से वंचित कर दिया जाएगा एवं एक महीने की अनुज्ञप्ति शुल्क भुगतान करने को बाध्य होंगे। Allotment of Government Residences (IA&AD) Rules, 2021 के अन्य नियम एवं शर्तें लागू होंगे।

आवंटी द्वारा विद्युत कनेक्शन अपने ही नाम से लेना अनिवार्य है। इसकी सूचना अधिग्रहण से 15 दिनों के अंदर संपदा अनुभाग को दिया जाय। आवास रिक्त करने से पहले बिलों का पूर्ण भुगतान करके विद्युत विच्छेदन प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य होगा। इस आवश्यकता की पूर्ति के बिना कनेक्शन विच्छेद के आवास का अधिपत्य वापस नहीं लिया जायेगा तथा नियमानुसार निर्धारित पिनल चार्ज की वसूली वेतन से किया जायेगा।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना का सचिवालय।

2. वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) का सचिवालय।

3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (दावा-I)

4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन-II) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना।

5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन) कार्यालय निदेशक, लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ, पूर्वी कमान, पटना - 800019।

6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व मध्य रेल, महाप्रबंधक कार्यालय परिसर, एस०बी०आई० ए०टी०एम० के पीछे, हाजीपुर-844101

7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.एस. से अनुरोध है कि कार्यालय के वेबसाइट पर कार्यालय आदेश का प्रदर्शन सुनिश्चित कराएँ।

8. सहायक अभियंता (सिविल) के.लो.नि.विभाग, ऑडिट भवन, पटना।

9. सहायक अभियंता (विद्युत), पटना केन्द्रीय प्रमंडल संख्या-1, के.लो.नि.विभाग, पुनाईचक, पटना-23

10. कार्यपालक अभियंता (सिविल), पटना केन्द्रीय प्रमंडल संख्या-1, के.लो.नि.विभाग, पुनाईचक, पटना-23

11. कार्यपालक अभियंता (विद्युत), पटना केन्द्रीय विद्युत प्रमंडल, के.लो.नि.विभाग, पुनाईचक, पटना-23

12. स्थानीय विद्युत कर्मी, ऑडिट भवन पटना।

13. संबंधित व्यक्ति।

Digitally signed by
Diwakar Ray
Date: 03-07-2025
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)